"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018 — श्रावण 6, शक 1940

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-22/गृह-सी/2018. — शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) की धारा-2 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह कार्य मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 28) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम देवदा, पो. आ. लखौली, तहसील आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (पटवारी हल्का क्र. 28, पटवारी खसरा क्र. 4, 5, 10, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 कुल-28) में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईपलाईन टर्मिनल क्षेत्र को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस आधार पर "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसके साथ हस्तक्षेप, शत्रु के लिये उपयोगी होगा.

No. F 4-22/Home-c/2018. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 1285, dated the 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government, hereby, declares the Petroleum Product Pipeline Terminal area at Village Deveda, P. O. Lakholi, Tehsil Arang, Dist. Raipur, Chhattisgarh (Patwari Halka No. 28, Patwari Khasara No. 4, 5, 10, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 Total-28) of Indian Oil Corporation Limited, to be a "Prohibited Place" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.